


- : : आदेश : : -

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जाखण तहसील जायल में खेत खसरा नं. 105 रकबा 6.2079 हैक्टेयर, खसरा नंबर 115 रकबा 2.9623 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 रकबा 7.6485 हैक्टेयर व मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1855 रकबा 0.9712 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1991 रकबा 1.4731 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जाखण का खेत खसरा नंबर 115 रकबा 2.9623 हैक्टेयर में से 0.9875 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार व खसरा नंबर 47 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से माफिक नजरी नक्शानुसार 1.9020 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार व इसी खसरे 47 में से 0.6475 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा मौजा खिंयाला का खेत खसरा नंबर 1855 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 1991 रकबा 1.4731 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 कलम किशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जाखण का खेत खसरा नंबर 47 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से माफिक नजरी नक्शानुसार 0.6475 हैक्टेयर व इसी खसरे में से दूसरा भाग 1.9020 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खेत खसरा नंबर 105 रकबा 6.2079 हैक्टेयर में से 3.1039 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रेवन्तराम व रेशमी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जाखण का खेत खसरा नंबर 115 रकबा 2.9623 हैक्टेयर में से 1.9748 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 रामअवतार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जाखण का खेत खसरा नंबर 47 रकबा 7.6485 हैक्टेयर में से माफिक नजरी नक्शानुसार 2.5495 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 105 रकबा 6.2079 हैक्टेयर में से 3.1040 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल